भारत सरकार
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 929
दिनांक 24 जुलाई, 2026 को उत्तर के लिए

मिशन शक्ति के अंतर्गत योजनाओं का कार्यकरण

929. श्रीमती लवली आनंदः

क्या **महिला और बाल विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) बिहार में जिला-वार स्वीकृत/कार्यशील इकाइयों सहित 'मिशन शक्ति' के अंतर्गत स्वीकृत आंगनवाड़ी-सह-शिशुगृह (क्रेच)/पालना योजना, पालन घर और कामकाजी महिला छात्रावास योजनाओं के कार्यान्वयन की वर्तमान स्थिति क्या है;
(ख) क्या उक्त राज्य में महिला हेल्पलाइन 181 और वन स्टॉप सेंटरों के कर्मचारियों की कार्यकुशलता, क्षमता निर्माण, डिजिटल निगरानी और सेवा की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए कोई विशेष प्रशिक्षण/मूल्यांकन प्रणाली लागू की गई है;
(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
(घ) सरकार द्वारा हिंसा और संकट की स्थिति में फंसी महिलाओं को तत्काल कानूनी, चिकित्सा और मनोवैज्ञानिक परामर्श के साथ-साथ आश्रय और पुनर्वास सेवाएं प्रभावी ढंग से प्रदान करने के लिए उठाए जा रहे कदमों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर
महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री
(श्रीमती सावित्री ठाकुर)

(क) से (घ): **पालना योजना**: महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा 1 अप्रैल, 2022 से पालना योजना के अंतर्गत आंगनवाड़ी-सह-शिशु देखभाल केंद्र (आंगनवाड़ी कम क्रेच– एडब्ल्यूसीसी) प्रारंभ किए गए हैं। इनका उद्देश्य सभी माताओं के 6 माह से 6 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों को, उनकी रोजगार स्थिति की परवाह किए बिना, सुरक्षित एवं संरक्षित वातावरण में डे-केयर (क्रेच) सुविधा उपलब्ध कराना है। इसके साथ ही बच्चों को पोषण सहायता, स्वास्थ्य एवं संज्ञानात्मक विकास, वृद्धि निगरानी, टीकाकरण, शिक्षा तथा अन्य आवश्यक सेवाएं भी प्रदान की जाती हैं। मिशन शक्ति के 'सामर्थ्य' घटक के अंतर्गत पालना एक केंद्र प्रायोजित योजना है। इस योजना का वित्तपोषण केंद्र एवं राज्य सरकारों/विधानमंडल वाले

संघ राज्य क्षेत्रों के बीच 60:40 के अनुपात में किया जाता है। पूर्वोत्तर एवं विशेष श्रेणी के राज्यों के लिए यह अनुपात 90:10 है, जबकि विधानमंडल रहित संघ राज्य क्षेत्रों के लिए 100 प्रतिशत वित्तपोषण केंद्र सरकार द्वारा किया जाता है। पालना एक मांग-आधारित केंद्र प्रायोजित योजना है, जिसके अंतर्गत राज्य सरकारें एवं संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन अपनी आवश्यकता का आकलन कर प्रस्ताव प्रस्तुत करते हैं। इन प्रस्तावों पर संबंधित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के साथ विचार-विमर्श के उपरांत कार्यक्रम अनुमोदन बोर्ड (पीएबी) द्वारा अनुमोदन प्रदान किया जाता है। बिहार राज्य में 504 आंगनवाड़ी-सह-शिशु देखभाल केंद्रों (एडब्ल्यूसीसी) को स्वीकृति प्रदान की गई है और सभी संचालित हैं। बिहार राज्य में संचालित आंगनवाड़ी-सह-शिशु देखभाल केंद्रों (एडब्ल्यूसीसी) का जिला-वार विवरण अनुलग्नक में दिया गया है।

सखी निवास योजना: मिशन शक्ति के अंतर्गत संचालित सखी निवास योजना (कार्यरत महिला छात्रावास) एक मांग-आधारित केंद्र प्रायोजित योजना है, जिसके अंतर्गत योजना के कार्यान्वयन के लिए निधियां सीधे राज्यों एवं संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को जारी की जाती हैं। राज्य सरकारें एवं संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन स्थानीय आवश्यकताओं के अनुसार अपनी जरूरतों का आकलन कर प्रस्ताव प्रस्तुत करते हैं, जिन पर संबंधित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के साथ विचार-विमर्श के उपरांत कार्यक्रम अनुमोदन बोर्ड (पीएबी) द्वारा अनुमोदन प्रदान किया जाता है। इस योजना का उद्देश्य शहरी, अर्ध-शहरी तथा उन ग्रामीण क्षेत्रों में, जहां महिलाओं के लिए रोजगार के अवसर उपलब्ध हैं, कार्यरत महिलाओं हेतु सुरक्षित एवं सुविधाजनक स्थानों पर आवास की उपलब्धता को बढ़ावा देना है।

योजना के अंतर्गत कार्यरत महिलाओं तथा रोजगार प्राप्ति हेतु प्रशिक्षण प्राप्त कर रही महिलाओं के लिए किराए के परिसरों में सखी निवास के संचालन हेतु वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। योजना का एक महत्वपूर्ण घटक सखी निवास में रहने वाली महिलाओं के बच्चों के लिए डे-केयर सेंटर (शिशु देखभाल केंद्र) की व्यवस्था करना है। इस योजना के अंतर्गत किराए पर आवास उपलब्ध कराने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। भवन निर्माण संबंधी घटक को योजना से समाप्त कर दिया गया है।

वर्तमान में देशभर में 575 सखी निवास संचालित हैं, जिनमें से तीन (03) सखी निवास बिहार राज्य में स्थित हैं। इनमें क्रमशः पटना, मुजफ्फरपुर तथा गया जिलों में एक-एक सखी निवास संचालित है।

शक्ति सदन योजना: मिशन शक्ति के अंतर्गत 1 अप्रैल, 2022 से पूर्ववर्ती 'स्वाधार गृह' (विषम परिस्थितियों में रह रही महिलाओं के लिए आश्रय गृह) तथा 'उज्ज्वला' (मानव तस्करी से मुक्त कराई गई महिलाओं के लिए आश्रय गृह) योजनाओं का एकीकरण कर इन्हें 'शक्ति

सदन योजना' के रूप में संचालित किया जा रहा है। शक्ति सदन संकटग्रस्त परिस्थितियों में रह रही महिलाओं, विशेषकर मानव तस्करी से मुक्त कराई गई महिलाओं, के लिए एक एकीकृत राहत एवं पुनर्वास गृह है। इसका उद्देश्य ऐसी महिलाओं के लिए सुरक्षित एवं सहयोगात्मक वातावरण उपलब्ध कराना है, ताकि वे प्रतिकूल परिस्थितियों से उबरकर सम्मानजनक जीवन व्यतीत कर सकें।

शक्ति सदन योजना के अंतर्गत शक्ति सदन में निवासरत महिलाओं को आश्रय, भोजन, वस्त्र, परामर्श, विधिक सहायता, प्राथमिक स्वास्थ्य सुविधाएं तथा अन्य दैनिक आवश्यकताएं उपलब्ध कराई जाती हैं। इसके अतिरिक्त, संबंधित विभागों के साथ तालमेल के माध्यम से उन्हें व्यावसायिक प्रशिक्षण, बैंक खाते खोलने की सुविधा, सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का लाभ तथा अन्य आवश्यक सेवाएं भी प्रदान की जाती हैं। वर्तमान में बिहार राज्य में 16 शक्ति सदन संचालित हैं।

वन स्टॉप सेंटर (ओएससी) एवं महिला हेल्पलाइन (डब्ल्यूएचएल): मिशन शक्ति के 'संबल' घटक के अंतर्गत संचालित वन स्टॉप सेंटर (ओएससी) हिंसा से प्रभावित तथा संकटग्रस्त महिलाओं को, चाहे वे निजी अथवा सार्वजनिक स्थानों पर हिंसा की शिकार हुई हों, एक ही स्थान पर समेकित सहायता एवं समर्थन उपलब्ध कराते हैं। इन केंद्रों के माध्यम से प्रत्येक केस की आवश्यकता के अनुसार चिकित्सीय सहायता, विधिक सहायता एवं परामर्श, अस्थायी आश्रय, पुलिस सहायता, मनो-सामाजिक परामर्श तथा रेफरल सेवाएं उपलब्ध कराई जाती हैं। 30 जून, 2026 की स्थिति के अनुसार देश में 985 वन स्टॉप सेंटर संचालित हैं, जिनमें से 61 वन स्टॉप सेंटर बिहार राज्य में कार्यरत हैं। योजना के प्रारंभ, अर्थात 1 अप्रैल, 2015 से 30 जून, 2026 तक देशभर में इन वन स्टॉप सेंटरों के माध्यम से 15.80 लाख से अधिक महिलाओं को सहायता प्रदान की जा चुकी है।

महिला हेल्पलाइन (डब्ल्यूएचएल–181): महिला हेल्पलाइन (181) के माध्यम से संकटग्रस्त महिलाओं को टोल-फ्री, 24×7 आपातकालीन एवं गैर-आपातकालीन सहायता एक समान एकीकृत हेल्पलाइन नंबर 181 पर उपलब्ध कराई जाती है। इस हेल्पलाइन के माध्यम से महिलाओं को उनकी आवश्यकता के अनुसार आपातकालीन प्रतिक्रिया सहायता प्रणाली (ईआरएसएस–112), वन स्टॉप सेंटर, चाइल्ड हेल्पलाइन (1098), पुलिस, अस्पतालों तथा विधिक सेवा जैसी उपयुक्त सेवाओं से जोड़ा जाता है। 30 जून, 2026 की स्थिति के अनुसार देशभर में महिला हेल्पलाइन (181) के माध्यम से 1.04 करोड़ से अधिक महिलाओं को सहायता प्रदान की जा चुकी है।

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा महिला हेल्पलाइन (डब्ल्यूएचएल) तथा वन स्टॉप सेंटर (ओएससी) के कार्मिकों की क्षमता को सुदृढ़ बनाने के उद्देश्य से राज्यों एवं संघ राज्य

क्षेत्र प्रशासनों को नियमित प्रशिक्षण, तकनीकी सहायता तथा सतत मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए विभिन्न उपाय किए गए हैं। राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य एवं तंत्रिका विज्ञान संस्थान (निमहांस), सावित्री बाई फुले राष्ट्रीय महिला एवं बाल विकास संस्थान (एसपीएनआईडबल्यूसीडी) तथा सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग (सी-डैक) जैसे संस्थानों के सहयोग से क्षमता निर्माण कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। इन कार्यक्रमों में मनो-सामाजिक परामर्श, लैंगिक संवेदनशीलता, नैतिक कॉल प्रबंधन, केस प्रबंधन (केस मैनेजमेंट), डैशबोर्ड संचालन तथा रेफरल तंत्र जैसे विषयों पर प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। इसके अतिरिक्त, सी-डैक द्वारा राज्यों एवं संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को क्षेत्रीय एवं व्यावहारिक (हैंड्स-ऑन) प्रशिक्षण, तकनीकी सहायता, डैशबोर्ड संबंधी सहयोग, तकनीकी समस्याओं का समाधान (ट्रबलशूटिंग) तथा प्रबंधन सूचना प्रणाली (एमआईएस) एवं डेटा विश्लेषण संबंधी सहायता भी उपलब्ध कराई जाती है।

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा कार्यक्रम अनुमोदन बोर्ड (पीएबी) की बैठकों, समीक्षा बैठकों, वीडियो कॉन्फ्रेंस तथा क्षेत्रीय निरीक्षणों के माध्यम से योजनाओं के कार्यान्वयन की नियमित समीक्षा की जाती है। जिन राज्यों एवं संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को अतिरिक्त सहयोग की आवश्यकता होती है, उन्हें सेवा वितरण को सुदृढ़ बनाने, आंकड़ों की गुणवत्ता में सुधार करने, प्रतिक्रिया तंत्र को अधिक प्रभावी बनाने तथा योजनाओं के प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से निरंतर तकनीकी सहायता एवं सतत मार्गदर्शन (हैंडहोल्डिंग) प्रदान किया जाता है।

"मिशन शक्ति के अंतर्गत संचालित योजनाओं का कार्यान्वयन" के संबंध में श्रीमती लवली आनंद, माननीय सांसद (लोकसभा) द्वारा पूछे गए दिनांक 24.07.2026 को उत्तर दिए जाने वाले लोकसभा के अतारांकित प्रश्न संख्या 929 के भाग (क) से (घ) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक

दिनांक 20.07.2026 तक बिहार में आंगनवाड़ी केंद्रों का विवरण		
क्र.सं.	**जिले का नाम**	**कुल संचालित केंद्र**
1	अररिया	1
2	अरवल	2
3	औरंगाबाद	22
4	बांका	13
5	बेगूसराय	2
6	भागलपुर	34
7	भोजपुर	30
8	बक्सर	2
9	दरभंगा	2
10	गया	2
11	गोपालगंज	31
12	जमुई	20
13	जहानाबाद	15
14	कैमूर	2
15	कटिहार	2
16	खगरिया	10
17	किशनगंज	2
18	लखीसराय	2
19	मधेपुरा	2
20	मधुबनी	43
21	मुंगेर	20
22	मुजफ्फरपुर	3
23	नालंदा	2
24	नवादा	2
25	पश्चिमी चंपारण	43
26	पटना	51
27	पूर्वी चंपारण	2
28	पूर्णिया	2

29	रोहतास	4
30	सहरसा	2
31	समस्तीपुर	2
32	सरन	41
33	शेखपुरा	7
34	शिवहर	2
35	सीतामढ़ी	2
36	सिवान	40
37	सुपौल	2
38	वैशाली	38
	कुल	504
